UPSD070000732022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी, सिद्धार्थनगर।

पीठासीन अधिकारी–सतीश कुमार त्रिपाठी, उच्चतर न्यायिक सेवा, UP 1537

Sessions Case/22/2022

राज्य उत्तर प्रदेश———————————————————अभियोजक

बनाम

1– राहुल पुत्र पुजारी,

2– पुजारी पुत्र तुलसी

3– अर्जुन पुत्र तुलसी

साकिनान बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर

————अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–204/2020
अन्तर्गत धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं०
व धारा–3 महामारी अधिनियम,
एवं धारा–51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम,
थाना–कोतवाली बांसी,
जनपद–सिद्धार्थनगर।

क्र. सं.	विचारण का विवरण	दिनांक
1.	घटना की तिथि	02.07.2020
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	02.07.2020
3.	आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	21.08.2020
4.	न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	11.09.2020
5.	अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	04.04.2022
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	04.04.2022
7.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने की तिथि	14.05.2026
8.	अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने की तिथि	14.05.2026

निर्णय

1– अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम, एवं धारा–51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम, थाना

Digitally signed by SATISH KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.06.10 16:00:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोतवाली बांसी की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक–12.01.2022 को माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

2– अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य कागज संख्या–4क, प्रदर्श क–1 के अनुसार इस प्रकार है कि–"वादी मुकदमा दिनेश पुत्र रामसुमेर निषाद ने दिनांक 02.07.2020 को समय 18:35 बजे प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली बांसी, जिला सिद्धार्थनगर को इस आशय की लिखित तहरीर दिया कि– "वादी मुकदमा दिनेश पुत्र रामसुमेर निषाद, साकिन बन्धवाताल, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है। वह मजदूर आदमी है। कल वह पुजारी पुत्र तुलसी के कहने पर मजदूरी करने गया, दोपहर तक धान का बीया उखाड़ा, आज जब वही पैसा मांग रहा था तो पुजारी पुत्र तुलसी उग्र होकर गाली गुप्ता देने लगा और वहां उसके घर के अर्जुन पुत्र तुलसी, राहुल पुत्र पुजारी तीनों लोग मिलकर वादी मुकदमा को लाठी, डण्डा व लात, मूकों से मारे हैं। उसकी बहन सुधा शोर सुनकर आयी। बीच बचाव करने लगी तो उसे भी वे लोग मारे हैं, जिससे उसके सिर पर काफी चोटें आयी हैं। उपरोक्त आधार पर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।'’

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर दिनांक 02.07.2020 समय 18:35 बजे अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–204/2020, अन्तर्गत धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम एवं धारा–51(बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत किया गया और मामले की विवेचना थाना कोतवाली बांसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा की गयी। उक्त मामले की चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर कागज संख्या– 10क/9 ता 10क/10 प्रदर्श क–2 के रूप में उपलब्ध है।

4– दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा तथा अन्य साक्षियों का बयान लिया एवं घटना स्थल का निरीक्षण करके स्थल मानचित्र तैयार कर विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन के विरूद्ध धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम एवं धारा–51(बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम, के अन्तर्गत पर्याप्त आधार पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र कागज संख्या–3क/1 ता 3क/12 प्रदर्श क–6, के अन्तर्गत पर्याप्त आधार पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया।

5– न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन के विरूद्ध दिनांक–04.04.2022 को आरोप अन्तर्गत धारा–308/34, 323/34, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम एवं धारा–51(बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम, का विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, परन्तु अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

6– तदोपरान्त उक्त अभियोग इस सत्र न्यायालय को हस्तगत होने पर अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

क्र.स.	प्रदर्श क्रमांक	साक्षी का नाम	
1	पी०डब्लू०– 1	दिनेश	वादी मुकदमा
2	पी०डब्लू०– 2	सुधा (वादी मुकदमा की बहन)	चोटहिल साक्षी
3	पी०डब्लू०– 3	डा० रविकान्त सिंह	चिकित्सीय साक्षी
4	पी०डब्लू०– 4	उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी	विवेचक
5	पी०डब्लू०– 5	एच०सी० हरेन्द्र प्रजापति	एफ०आई०आर० लेखक
6	पी०डब्लू०– 6	रजनीश कुमार वर्मा (सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन)	द्वितीयक साक्षी
7	पी०डब्लू०– 7	सुमेर (वादी मुकदमा का पिता)	चक्षुदर्शी साक्षी

8– अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है–

क्रम सं.	अभिलेखीय साक्ष्य	प्रदर्श संख्या	साक्षी/साबितकर्ता
1	एन०सी०आर कागज सं०–4 क	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2	चिक एफ०आई०आर० कागज सं०–10 क/1 ता 10 क/10	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–2
3	मजरूब दिनेश की आघात आख्या कागज सं०–7 क/5	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–3
4	मजरूबा सुधा की आघात आख्या कागज सं०–7 क/6	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3
5	नक्शा नजरी कागज संख्या–6 क	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–4
6	आरोप–पत्र कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/12	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4
7	चिक एफ०आई०आर० कागज संख्या–5 क/1 ता 5 क/2	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–5
8	कायमी जी०डी० कागज संख्या–5 क/3 ता 5 क/4	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–5
9	कायमी एन०सी०आर० कागज संख्या–71 क/1	प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–5
10	चोटहिल सुधा की सी०टी० स्कैन रिपोर्ट दिनांकित 04.07.2020 कागज संख्या–7 क/8	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–6
11	मूल रजिस्टर दिनांकित 04.07.2020 की छायाप्रति कागज संख्या–81 क	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–6

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताते हुए चोटहिलों की चोटे एक्सीडेन्टल होना तथा ईंटों व पत्थरों से लगा होना एवं झगड़ा न होने का कथन करते हुए साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा फर्जी कागजात बनवाया जाना साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा झूंठा बयान दिया जाना कहते हुए साक्षी पी०डब्लू०–3 एवं साक्षी पी०डब्लू०–4 द्वारा सरकारी कारगुजारी दिखाया जाना कहते हुए साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश का पालन न करना बताते हुए साक्षी पी०डब्लू०–6 द्वारा फर्जी कागजात तैयार किया जाना कहते हुए साक्षी पी०डब्लू०–7 द्वारा रंजिशन झूठा बयान दिया जाना एवं काफी विरोधाभाष होना कहते हुए मुकदमा फर्जी तरीके से चलना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने एवं अपने को निर्दोष होना बताते हुए आपराधिक इतिहास न होने का कथन किया गया है।

10– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन मेरे द्वारा किया गया।

11– पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए कुल तीन तथ्य के साक्षी एवं चार औपचारिक साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

12– **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा दिनेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–**''घटना दिनांक 02.07.2020 की है। मैं मजदूरी करने गया था। पुजारी पुत्र तुलसी के कहने पर बड़के बन्धवाताल गया था। दोपहर तक मैं धान का बीया उखाड़ा था, वही पैसा मांगा था तो पुजारी पुत्र तुलसी उग्र होकर गाली गुप्ता देने लगे। यह घटना दो से ढाई बजे के बीच की है। पुजारी से पैसा मांगने गया तो नाराज होकर राहुल, अर्जुन पुत्रगण पुजारी तथा पुजारी तीनों लोग मिलकर लाठी, डण्डा, लात, मूका से मारने लगे। शोर शराबा पर मेरी बहन सुधा दौड़कर बीच–बचाव करने लगी तो वह लोग उसे भी मारने लगे। आस–पास के तमाम लोग आकर बीच–बचाव किये। मुल्जिमान गाली देते अपने घर में चले गये। मेरी बहन के शरीर में काफी चोट आयी थी। मैं अपनी बहन को लेकर थाने गया, वहां पर मुकदमा लिखाया। पुलिस द्वारा मेरी डाक्टरी पी०एच०सी० बांसी तथा मेरी बहन का इलाज जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में चला था। मौके पर सेवक और विरेन्दर ने घटना देखा था। मैंने घटना की तहरीर लिखकर दिया था, जिसके आधार पर एन०सी०आर० कागज संख्या–4 क है, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या–10 क/9 है, मैं इसकी पुष्टि करता हॅू, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरी बहन सुधा के सिर पर काफी चोट आयी थी।''

13– **बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि–** "हमें सम्मन नहीं मिला था। मैं अपने मर्जी से आज गवाही देने आया हॅू। गवाही देने के लिए मुझे वकील साहब बुलाये हैं। मैं सरकारी वकील के अलावा प्राइवेट वकील रखा है। गवाही के लिए मैं स्वयं बोला था, जो दरख्वास्त मैंने थाने पर दिया था, वह दरख्वास्त थाने के अन्दर सिपाही से लिखाकर दिया था, उस सिपाही का नाम नहीं मालूम है। दरख्वास्त सिपाही ने मुझे पढ़कर सुनाया था। यह बात मैंने दरोगा जी को बताया था, अगर दरोगा जी मेरे बयान में सिपाही से तहरीर लिखाने वाली बात न लिखा हो तो उसका कारण मैं नहीं बता सकता। थाने में मुकदमा लिखाने वाली तारीख हमें याद है। दिनांक 02.07.2020 को थाने पर मैं दो से

ढाई बजे के बीच गया था, जिस दिन हमें चोट लगी थी, उसी दिन मैं थाने पर गया था। चोट लगने के बाद सबसे पहले मैं थाने पर गया था, उसके बाद मैं अस्पताल आया था। सरकारी अस्पताल बांसी आये थे, उसके बाद जिला अस्पताल गये थे। चोट लगने से मेरी बहन का सर फ्रैक्चर हो गया था, सर से खून बह रहा था, कपड़े पर खून नहीं लगा था, थोड़ा बहुत लगा था। कपड़ा फटा हुआ था, कपड़ा दो–तीन जगह फटा हुआ था। कपड़ा मैंने दरोगा जी को दिखाया था, जिस दिन चोट लगा था, उसी दिन प्रार्थना पत्र दिया था, उसके अगले दिन मैंने कोई प्रार्थना पत्र चोट लगने के सम्बन्ध में थाने पर नहीं दिया था। खून जमीन पर गिरा था कि नहीं हमने ध्यान नहीं दिया था। हमको तीन जगह चोट लगी थी, सुधा को चार से पांच जगह चोटें आयी थी। छोटका बन्धवा व बड़का बन्धवा अलग–अलग गांव है। मैं छोटके बन्धवा ताल ग्राम लोहिया का रहने वाला हूॅं। मुल्जिमान भी मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, उसी दिन मैं बड़के बन्धवा ताल गया था। मेरे गांव से बड़का बन्धवा ताल एक से डेढ़ किमी० की दूरी पर होगा। झगड़ा बिया उखाड़ते समय खेत में नहीं हुआ था। मेरा झगड़ा मेरे घर और न ही मुल्जिमान के घर हुआ था। सुधा मेरे साथ मजदूरी करने घटना वाले दिन नहीं गयी थी। सुधा दूसरे के साथ मजदूरी करने गयी थी। सुधा बड़के बन्धवा दूसरे के खेत में काम करने गयी थी। पुजारी भी मेरे साथ मजदूरी करने गया था। मुझे व मेरी बहन को बन्धवा बांसी–धानी मार्ग से भवारी घाट जाने वाली सड़क पर स्थित पुल से थोड़ा सा नीचे चोट लगी थी। घटना स्थल के अगल–बगल केवल एक दुकान थी। बांसी–धानी मार्ग से भवारी घाट जाने वाली वाली मार्ग पर दुकान बांयी तरफ पड़ेगा। दुकान के बाद पुल पड़ेगा। दुकान पर तमाम लोग बैठे थे। पुल पर जब मैं पहुॅंचा तो दो से ढाई बजे का समय रहा होगा। विश्राम को मैं जानता हूॅं। यह मेरे गांव का है, इनसे मेरा कोई बात व्यवहार नहीं है, पहले था। मोटरसाइकिल चलाने मुझे आता है। मेरे पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेन्स नहीं है। मैं घटना वाले दिन विश्राम की मोटरसाइकिल लेकर नहीं आया था, बल्कि मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया था।''

14– **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 सुधा पुत्री रामसुमेर जो चोटहिल साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–**''घटना हुए दो साल एक महीना हुआ। समय दोपहर दो बजे खाना की छुट्टी हुआ था, उसके बाद की घटना है, तीन बजे झगड़ा हुआ था। हम भाई–बहन धान की रोपाई करने में मजदूरी करने गये थे। हमारे गांव के पुजारी, अर्जुन ठेका पर हम मजदूरों को ले जाकर ठीके पर धान की रोपाई करवाते थे। घटना के दिन पुजारी और अर्जुन मुझे और मेरे भाई दिनेश सहित कई अन्य मजदूरों को लेकर धान की रोपाई कराने के लिए ले गये थे। घटना के तीन दिन पूर्व (पहले) में ही गयी मजदूरी का पैसा मेरा भाई दिनेश, पुजारी और अर्जुन से मांग रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दो बजे छुट्टी होने के बाद खेत से आगे–आगे मेरा भाई दिनेश और उसके साथ पुजारी, अर्जुन, राहुल चल रहे थे। मैं उनसे लगभग एक बीघा पीछे चल रही थी, वहां रास्ते में पुलिया के पास पुलिया के ऊपर मेरे भाई दिनेश के मजदूरी मांगने पर तीनों लोग राहुल, पुजारी, अर्जुन मेरे भाई को गाली गुप्ता देते हुए बांस का डण्डा, लात, मूका, घूसा से मारने लगे, अपने भाई को मारते हुए देखकर मैं दौड़ते हुए आयी और मैं तीनों लोगों से कहा कि मेरे भईया को क्यों मार रहे हो, तो मुल्जिमानों ने कहा कि आज इसे हम लोग मारकर फेंक देंगे। जब मैं अपने भाई को बचाने का प्रयास की तो पुजारी बांस का डण्डा लेकर और लोग डण्डा, लात, मूका से मारने लगे। राहुल ईंटा लेकर मुझे सिर पर मार दिये और मैं गिरकर

बेहोश हो गयी। मुझे लोग लादकर अस्पताल ले गये थे। मुझे अस्पताल में ही होश आया था। मैं अस्पताल में पांच–छः दिन भर्ती थी। धूप में जाती हूँ, तो अभी चक्कर आता है और दर्द भी होता है, अभी भी दवा चल रही है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

15– बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि– "मैं आज अकेले साक्ष्य देने आयी हूॅ। मेरे साथ मेरे भाई और पिता जी भी आये हैं। हम मजदूरी 12:00 बजे तक करती हूॅ, मैं 12:00 बजे के बाद से मजदूरी करने नहीं जाती हूॅ। विश्राम उस ठीके में नहीं थे, उस दिन विश्राम मजदूरी करने नहीं गये थे। मैं किसके खेत में बिया उखाड़ रही थी, उसका नाम हमें नहीं मालुम है। मेरे घर से जहॉ मैं बिया उखाड़ रही थी, उसकी दूरी करीब एक किमी० होगी। मेरे साथ कितने लोग बिया उखाड़ रहे थे, हमें जानकारी नहीं है। हमारे साथ बिया उखाड़ने के लिए करीब 20 आदमी गये थे। बीसों लोगों का नाम नहीं मालुम है। मैं घटना स्थल की चौहद्दी नहीं बता सकती हूॅ। जहॉ ईंटा, पत्थर चल रहा था, वहॉ मुझे चोट लगी थी। चोट लगने के बाद मुझे लादफान कर जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मैं जिला अस्पताल में छः दिन तक भर्ती थी। मैं जब जिला अस्पताल से वापस ठीक होकर घर आयी तो मैं और मेरे भाई दोनों थाने पर गये थे कि नहीं मुझे याद नहीं है। मैं थाने पर गयी थी कि नहीं मुझे याद नहीं है। मुझे कोई चीज भूलता नहीं है। दरोगा जी मेरा बयान थाने पर लिए थे, कितने तारीख को मेरा बयान लिए थे, मुझे याद नहीं है। घटना के कितने दिन बाद थाने पर गयी थी, मुझे याद नहीं है। मेरा भाई मोटरसाइकिल चला लेता है। मैं पैसा मांगने मोटरसाइकिल से नहीं गयी थी। मेरा भाई मोटरसाइकिल से पैसा मांगने नहीं गया, पैसा मांगने पैदल गया था। मेरे भाई के शरीर पर कई जगह चोटें आयी थी। चार–पांच चोटें मुझे लगी थी और पांच भाई को लगी थी। मुझे पैर, कनपटी, बांह और कमर पर चोट लगी थी। मेरे भाई को कहॉ–कहॉ चोट लगी थी हमें याद नहीं है। राहुल के शरीर से खून नहीं गिर रहा था। घटना के दिन मैं बेहोश हो गयी, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है।''

16– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 डा० रविकान्त सिंह वर्तमान तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी, सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–''दिनांक 02.07.2020 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी में प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उसी दिन होमगार्ड 277 सच्चिदानन्द दूबे द्वारा चोटहिल सुधा पुत्री रामसुमेर व चोटहिल दिनेश पुत्र रामसुमेर साकिनान बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर को इलाज एवं डाक्टरी परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। **चोटहिल सुधा** का पहचान स्वरूप गर्दन पर बांये तरफ काला तिल अंकित किया गया, तत्पश्चात चोटहिल सुधा के चोटों का वाह्य परीक्षण किया गया। निम्न चोटें पायी गयी–

1– माथे पर दाहिने तरफ माथा कान और आंख को लिए हुए सूजन, सूजन के कारण दाहिनी आंख बन्द और पलके सूजी हुई थी और देखने में परेशानी होना बतायी।

2– माथे के दाहिने तरफ आंख से 6 सेमी० दाहिने फटा हुआ घाव जिसकी साईज 1X0.5 सेमी० रक्तस्राव हो रहा था। चोट नम्बर–1 में दर्शित सूजन के ऊपर ही यह घाव मौजूद था।

चोट उपरोक्त कठोर कुन्दालय से कारित की गयी थी और चोट ताजी थी। उपरोक्त दोनों चोटें चेहरे और सिर की सी०टी० स्कैन के लिए जिला अस्पताल सन्दर्भित की गयी। चोट नम्बर–1 नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए भी सन्दर्भित की गयी।

चोटहिल दिनेश के दाहिने कांख में काला तिल पहचान स्वरूप अंकित किया गया। चोटहिल दिनेश के वाह्य परीक्षण में निम्नलिखित चोटें पायी गयी–

1– दाहिने पैर के जॉघ में अन्दर की तरफ दर्द की शिकायत बताया था।

2– पीछे कमर में दर्द की शिकायत बतायी गयी। कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।

कागज संख्या–7क/5 ता 7क/6 आघात आख्या संलग्न पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह दोनों आघात आख्या मेरे द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गयी है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस पर क्रमशः **प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4** डाला गया।''

17– बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि– "चोटहिल मजरूबी चिट्ठी 6:30 P.M. से 10–5 मिनट पहले मिली थी। मजरूबी चिट्ठी में NCR नम्बर लिखा है, जिस समय चोटहिलों को इलाज हेतु मेरे समक्ष लाया गया था, उस समय हमने उन चोटहिलों का आधारकार्ड व पहचान पत्र नहीं देखा था। चोटहिल दिनेश द्वारा दर्द की शिकायत तेज बुखार व ज्यादा शारीरिक श्रम करने से भी आ सकती है। दिनेश के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं था। चोटहिलों को चोटें दुर्घटनावश भी आ सकती हैं। चोटहिलों को यह चोटें किसी सख्त जमीन पर गिरने से भी आ सकती हैं। सुधा को कुल दो चोटें आयी थी, इसके अलावा पूरे शरीर पर कोई चोट नहीं आयी थी।''

18– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–4 उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी वर्तमान पता थानाध्यक्ष मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–''दिनांक 02.07.2020 को थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 03.07.2020 को वादी के प्रार्थना पत्र पर NCR No. 137/2020 अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०द०सं०, थाना कोतवाली बांसी, में दर्ज कर मुझे जॉच हेतु प्राप्त करायी गयी। मेरे द्वारा दौरान जॉच मजरूबा के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर NCR No. 137/2020 में तरमीम करके धारा–308 भा०द०सं० व कोविड–19 के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में धारा–188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–51(B) आपदा प्रबन्धन अधिनियम व धारा–3 महामारी अधिनियम की बढ़ोत्तरी करके अ०सं०–204/2020 धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–51(B) आपदा प्रबन्धन अधिनियम व धारा–3 महामारी अधिनियम थाना कोतवाली बांसी कायम किया गया, जिसकी विवेचना मुझे प्राप्त करायी गयी। मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण कर दिनांक 15.07.2020 को पर्चा नं०–1 किता किया गया, जिसमें नकल प्रार्थना पत्र, नकल रपट NCR कायमी, नकल रपट तरमीमी, सी०टी० स्कैन रिपोर्ट सुधा, मेडिकल रिपोर्ट मजरूबा सुधा व मेडिकल रिपोर्ट दिनेश का अवलोकन किया तथा NCR लेखक CM हरेन्द्र प्रजापति तथा वादी दिनेश का बयान अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। कागज संख्या–6क नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है, इसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह नक्शा नजरी मेरे द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। तत्पश्चात मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण अर्जुन व पुजारी को गिरफ्तार कर बयान अंकित कर न्यायालय प्रेषित कर रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनांक 28.07.2020 को पर्चा नं०–2 किता किया तथा दिनांक 21.08.2020 को पर्चा नं०–3 किता किया। इन दोनों पर्चों में मेरे द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिया गया। दिनांक 21.08.2020 को

पर्चा नं०–4 किता किया, जिसमें डाक्टर आर०के० सिंह, मजरूबा सुधा, गवाह विरेन्द्र, सुमेर, रामसेवक का बयान अंकित किया तथा अभियुक्त राहुल के घर जाकर 41(1) सीआर०पी०सी० की नोटिस तामील कर बयान अंकित किया तथा डा०माहताब यागनेगी द्वारा तैयार सी०टी० स्कैन रिपोर्ट मजरूबा सुधा व आदेश अन्तर्गत धारा–144 सीआर०पी०सी० का अवलोकन किया। अब तक की तमामी विवेचना बयानात, गवाहान व मजरूबान निरीक्षण घटना स्थल मय अवलोकन मेडिकल व सी०टी० स्कैन रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण पुजारी, अर्जुन, राहुल के विरूद्ध जुर्म धारा–308, 323, 504, 188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम एवं धारा–51(B) आपदा प्रबन्धन अधिनियम का अपराध बखूबी साबित पाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कागज संख्या–3 क/1 आरोप पत्र शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह आरोप पत्र मेरे द्वारा स्वयं बोलकर CCTNS पर कम्प्यूटर आपरेटर से किता कराया गया है। इस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।''

19– बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि– "मेरी भूमिका NCR दर्ज होने की तारीख से शुरू हुई थी। घटना दिनांक 02.07.2020 की है। घटना के अगले दिन NCR दर्ज हुआ था। NCR धारा–323, 504 भा०द०सं० में दर्ज हुआ था। उस समय कोरोना काल था। दिनांक 15.07.2020 को NCR को FIR में परिवर्तित किया गया था। डाक्टर माहताब यागनेगी (M.D.) का बयान मैंने नहीं लिया था और न ही दौरान विवेचना डाक्टर से मुलाकात हुई थी। घटना स्थल पर मैं गया था, समय याद नहीं है। NCR में महामारी अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा अंकित नहीं थी, बाद में जनपद कोरोना के आरेन्ज जोन में आ गया था। DM महोदय के निर्गत आदेश के क्रम में प्रदेश में बढ़ते कोरोना का अनुपालन हेतु महामारी की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी थी। नक्शा नजरी मैं कब बनाया था, निश्चित तिथि याद नहीं है। घटना स्थल की चौहद्दी जहॉ तक मुझे याद है। बांसी–धानी बन्धे से भंवारी गांव के तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास का था। घटना के आस–पास कोई दुकान थी या नहीं याद नहीं है। घटना स्थल पर पहुॅचने पर मुकदमा वादी दिनेश व तीन अन्य लोग मिले थे, नाम याद नहीं है और कोई नहीं था। घटना स्थल पर मैं लगभग एक घण्टे तक था, समय याद नहीं है। मैं अपनी मोटरसाइकिल से घटना स्थल के पास पहुॅचा था। मेरे साथ एक सिपाही भी गये थे, उस दिन मैंने तीन–चार लोगों का बयान लिया था। NCR दर्ज होने के बाद जॉच में मैं घटना स्थल पर गया था। उस समय मैंने घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया था। बयान मैंने NCR के तरमीम होने के बाद लिया था। मुल्जिमानों से मेरी मुलाकात कब हुई थी, तिथि मुझे याद नहीं है। गिरफ्तारी मैंने पुजारी और अर्जुन की मैंने धारा–41(1) सीआर०पी०सी० का अनुपालन करने के कारण दिनांक 15.07.2020 को किया था। तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। धारा–41(1) सीआर०पी०सी० की नोटिस तामील करायी गयी थी। आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि याद नहीं है। मजरूबा सुधा लगभग एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल से आने के बाद मैं बयान लिया था, तिथि याद नहीं है। दौरान विवेचना मैं मजरूबा या उसके भाई से कोई कपड़ा इत्यादि नहीं लिया था। मुल्जिमानों के द्वारा वादी या उसके परिवार वालों के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र थाना पर दिया गया था या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गिरफ्तारी के समय मुल्जिमानों को कोई चोटें आयी थी या नहीं याद नहीं है। घटना स्थल से मैंने कोई खूना–लूदा मिट्टी नहीं

लिया था। दौरान विवेचना मैंने कितने गवाहों का बयान लिया था, उनकी संख्या इस समय याद नहीं है। मजरूबा के चोटों की संख्या याद नहीं है। मजरूबा के सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर भी चोटें आयी थी। अस्पताल से छूटने के कितने दिन मजरूबा का बयान लिया था याद नहीं है। मजरूबा के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन दिनांक 15.07.2020 को किया था। दो मुल्जिमों अर्जुन और पुजारी का बयान मैंने गिरफ्तारी के समय लिया और राहुल का बयान मैंने धारा–41(1) सीआर०पी०सी० की नोटिस तामीला कराते समय लिया था। घटना स्थल (नक्शा नजरी) में किस स्थान से गवाह घटना देखे थे उसका जिक्र नक्शा नजरी में मैंने नहीं किया है। घटना पुलिया के सामने की है, दिशा मुझे याद नहीं है। नहर में पानी था।''

20– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–5 एच०सी० हरेन्द्र प्रजापति वर्तमान तैनाती थाना रूधौली, जनपद बस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि– ''दिनांक 02.07.2020 को थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कांस्टेबिल मुहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उसी दिन कार्यालय में मेरे मौजूदगी के दौरान वादी दिनेश पुत्र रामसुमेर, साकिन बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के लिखित तहरीर पर मेरे द्वारा NCR No. 137/2020 धारा–323, 504 भा०द०सं० बनाम पुजारी, अर्जुन, राहुल साकिनान बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, कायम कर मुकदमा दर्ज किया था तथा घटना दिनांक 02.07.2020 घटना स्थल बन्धवाताल सूचना रपट हाजा इमरोजा पंजीकृत किया था तथा दिनांक 15.07.2020 को मजरूबा सुधा पुत्री रामसुमेर साकिन बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, सिद्धार्थनगर की सी०टी० स्कैन रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत NCR 134/2020 में तरमीम कर विवेचक द्वारा धारा–308 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा–188, 269, 270 भा०द०सं० व धारा–3 महामारी अधिनियम एवं धारा–51(B) आपदा प्रबन्धन अधिनियम की तरमीम कर बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा अपराध संख्या–204/2020 कायम किया गया। प्रस्तुत मुकदमे में मेरे द्वारा चिक एफ०आई०आर० व रपट कायमी NCR व अपराध संख्या–204/2020 की भी रपट कायमी मेरे द्वारा किता की गयी थी। कागज संख्या–4क NCR, 5क/1 चिक एफ०आई०आर०, 5क/3 कायमी एफ०आई०आर० व 71क कायमी NCR शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि NCR और दोनों रपट कायमी तथा चिक एफ०आई०आर० को मेरे द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर बनाया गया है तथा चिक एफ०आई०आर० पर किता करने के उपरान्त मेरे द्वारा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक का भी हस्ताक्षर बनवाया गया था। मैं सभी प्रपत्रों की पुष्टि करता हूॅं। कागज संख्या–4क NCR पर पूर्व में ही प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है तथा कागज संख्या–5क/1 चिक एफ०आई०आर० पर **प्रदर्श क–7,** कागज संख्या–5क/3 कायमी एफ०आई०आर० पर **प्रदर्श क–8,** कागज संख्या–71क/1 कायमी NCR पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था।''

21– बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि– "कागज संख्या–71क कायमी NCR आज न्यायालय में पहली बार आया है। राहुल के पिता का नाम पुजारी लिखा है। धारा–308 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी विवेचक द्वारा की गयी थी। NCR कब लिखा हूॅं, पत्रावली देखकर बता सकता हूॅं, FIR कब लिखा हूॅं, आज याद नहीं है, पत्रावली देखकर बता सकता हूॅं, FIR के कालम संख्या–

14 में किसी सूचनाकर्ता व शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा नहीं है। मैं अपने उच्चाधिकारी के आदेश–निर्देश पर कार्य करता हूँ। किस तहरीर के आधार पर हमने NCR दर्ज किया था वह तहरीर न तो पत्रावली में है और न ही उस तहरीर के बारे में मुझे कोई जानकारी है। विवेचक के कायमी के आधार पर FIR मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया था। मैं अपनी आंख से कोई घटना नहीं देखा था। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।''

22– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–6 रजनीश कुमार वर्मा सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन प्रभारी जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर जो कि द्वितीयक साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–''मेरी कम्पनी HLL लाईफ केयर लिमिटेड का जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिप अनुबन्ध है। मैं इस कम्पनी का सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन/प्रभारी के पद पर जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में कार्यरत हूँ। मेरे यहां PHC, CHC व जिला अस्पताल चिकित्सकों द्वारा सी०टी० स्कैन के रेफर किये गये मरीजों के पर्चों को डाक्टरों से बेरीफाई कराकर मरीज का सी०टी० स्कैन आपरेटर सी०टी० स्कैन रेडियोग्राफर से कराते हैं। हमारे इस कम्पनी के रेडियोलाजिस्ट काफी संख्या में सम्बद्ध हैं, जो पूरे देश में अलग–अलग जगहों पर बैठते हैं, जिन्हें सी०टी० स्कैन करने के उपरान्त केस का फोटो मेरे द्वारा या मेरे पद पर पूर्व में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित रेडियोलाजिस्ट को आनलाईन भेज दिया जाता है और डाक्टर द्वारा फोटो के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके आनलाईन ही मेरे पास भेज दिया जाता है और उक्त रिपोर्ट की कापी मेरे द्वारा मरीज या उसके परिजन को प्राप्त करवा कर प्रस्तुत मूल रजिस्टर पर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगवा लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में डाक्टर मेहताब यागनेगी MD (रेडियोडायग्रोसिस) कन्सल्टैन्ट रेडियोलाजिस्ट द्वारा रिपोर्ट तैयार करके भेजी गयी थी, जिसे सी०टी० स्कैन प्रभारी द्वारा मरीज को सी०टी० स्कैन रिपोर्ट देकर डिस्पैच रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनवाया गया है। आज मैं मरीज पुस्तिका सी०टी० स्कैन जिला अस्पताल दिनांक 12.05.2020 से दिनांक 03.09.2020 तक का मूल रजिस्टर लेकर न्यायालय में उपस्थित हूँ। उक्त रजिस्टर में दिनांक 04.07.2020 के पेज पर क्रमांक संख्या–08 पर TRF नम्बर HLLSN 12678 दिनांक 04.07.2020, 04:54 सुधा ग्राम बन्धवाताल, थाना बांसी, SDR मो०नं०–9372746203 आधार संख्या–772917310931, 15/F, IPD/OPD नम्बर 10041 डाक्टर एम० आनन्द NCCT हेड बिल नम्बर 13781/827.04088 लिखा हुआ है। उक्त रजिस्टर की दिनांकित 04.07.2020 की छायाप्रति सत्यापित करके पत्रावली में दाखिल कर रहा हूँ और रजिस्टर में अंकित चोटहिल सुधा के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट दिनांकित 04.07.2020 कागज संख्या–7क/8 को मेरे यहां से मरीज को उपलब्ध कराये जाने की पुष्टि करता हूँ। कागज संख्या–7क/8 पर **प्रदर्श क–10** व छायाप्रति मूल रजिस्टर कागज संख्या–81क पर **प्रदर्श क–11** डाला गया।''

23– बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि– "मैं आज अपना पहचान पत्र नहीं लाया हूँ। आज जो रजिस्टर लाया हूँ, वह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। इस रजिस्टर में कितने पन्ने हैं नहीं बता सकता हूँ। सुधा का इस रजिस्टर में किस पृष्ठ संख्या पर नाम अंकित है, नहीं बता सकता हूँ। इस रजिस्टर में अंकित की गयी कोई भी प्रविष्टि मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैंने सुधा का सी०टी० स्कैन नहीं किया है। सी०टी० स्कैन रिपोर्ट भी मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैं

डा० महताब यागनेगी को नहीं जानता–पहचानता हूँ, उनके साथ काम भी नहीं किया हूँ, उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते मैं नहीं देखा हूॅ। आज जो रजिस्टर लेकर आया हूँ, उसमें और कागज संख्या–7 क/8 पर प्रदर्श क–10 पर सुधा के पति का नाम अंकित नहीं है। कागज संख्या–7 क/8 प्रदर्श क–10 पर सुधा का पता नहीं लिखा गया है। सुधा का आधारकार्ड नम्बर प्रदर्श क–10 पर अंकित नहीं है। इस रिपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि "पेसेन्ट आइडेन्टीफिकेशन इन आनलाईन रिपोर्ट इज नॉट स्टेब्लिस्ड सो इन नो वे कैन दिस रिपोर्ट बी यूटिलाईज्ड फार ऐनी मेडिकोलीगल परपज।'' यह सही है जब कोई सी०टी० स्कैन होता है तो उसका फिल्म निकलता है। सी०टी० स्कैन रिपोर्ट कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसे कम्प्यूटर पर बैठकर टाईप किया जा सकता है। प्रदर्श क–10 मेडिकल परपज के लिए नहीं तैयार किया गया है। सुधा के सी०टी० स्कैन के सम्बन्ध में कोई रेफर लेटर नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान नहीं लिया था। सुधा नाम की बहुत से मरीज हो सकते हैं। इस रजिस्टर का कस्टोडियन सी०टी० स्कैन इन्चार्ज है। सी०टी० स्कैन इन्चार्ज वर्तमान समय में मैं ही हूँ, लेकिन रजिस्टर तैयार करते समय मैं सी०टी० स्कैन इन्चार्ज नहीं था। यह रजिस्टर किसके हस्तलेख में तैयार है याद नहीं है।''

24– **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–7 सुमेर पुत्र अभिराज, निवासी ग्राम बन्धवाताल, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–** ''मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूॅ। घटना आज से पॉच साल नौ माह और छः–सात दिन पूर्व की तीन बजे दिन की घटना है। मुल्जिमान राहुल, पुजारी एवं अर्जुन मेरे ही गांव के हैं। मुल्जिमान मेरी बेटी और बेटा दिनेश को यह कहते हुए काम कराने ले गये थे कि चलो काम करो हम मजदूरी देंगे, जिस पर मेरी बेटी सुधा व बेटा दिनेश दोपहर तक काम किये, उसके बाद मेरा बेटा दिनेश मुल्जिमान से मजदूरी मांगने लगा तो मुल्जिमान राहुल, पुजारी व अर्जुन नाराज हो गये और गाली गुप्ता देते हुए मारने–पीटने लगे। हल्ला–गोहार सुनकर मेरी बेटी सुधा जो पास में थी, उसने हल्ला–गोहार करते हुए बचाने के लिए गयी तो मुल्जिमान राहुल, पुजारी व अर्जुन मेरी बेटी सुधा को भी बुरी तरह से मारने–पीटने लगे, जिससे मेरी बेटी के सिर में गम्भीर चोट आयी। मुल्जिमान अपने हाथ में डण्डा और ईंट के टुकड़े लिए हुए थे। मैं अपने घर से अपने बेटी–बेटा के लिए भोजन लेकर गया था तथा मैंने भी घटना को अपनी आंख से देखा था कि मुल्जिमान मेरी बेटी को बुरी तरह से मार–पीट रहे हैं। मेरे तथा गांव के तमाम लोगों के बीच–बचाव करने पर मुल्जिमान गाली–गुप्ता एवं धमकी देते हुए चले गये। उसके बाद हम लोग मोटरसाइकिल से बेटी सुधा को लेकर थाने पर गये, जहां से पुलिस के लोग सरकारी अस्पताल बांसी लेकर आये और चोटहिलों का प्राथमिक इलाज हुआ, किन्तु बेटी सुधा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के लिए डाक्टर द्वारा रेफर कर दिया गया। जहॉ पर मेरी बेटी सुधा का पांच दिन तक इलाज हुआ। जब मैं बीच–बचाव करने गया था तो मुल्जिमान मुझे भी धक्का देकर गिरा दिये थे, किन्तु मारे–पीटे नहीं थे। विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था। मुल्जिमान इस घटना के करीब एक साल बाद दो मुकदमा मेरे ऊपर कराकर मुझे परेशान कर रहे हैं।''

25– **बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि–** "मैंने दरोगा जी को दिनांक, घटना के दौरान जहॉ मार हुई थी, वहॉ मैंने दरोगा जी को बयान दिया।

प्रश्न– जो बयान आज न्यायालय में दे रहे हैं, वहीं बयान दरोगा जी को दिये थे ?

उत्तर– जी हाँ, यही बयान दरोगा जी को दिया था।

प्रश्न– दरोगा जी को अन्वेषण के समय जो आपने बयान दिया तो दरोगा जी द्वारा कुछ और बयान लिख लिये हों तो इसका कारण आप बता सकते हैं?

उत्तर– मैं यह नहीं जानता कि दरोगा जी मेरे धारा–161 सीआर०पी०सी० के बयान में आज जो मैंने बयान दिया है, इसके अतिरिक्त दरोगा जी ने और कुछ लिख लिए हों तो मैं बताने में अक्षम हूँ कि मेरे द्वारा दिए गये बयान के अतिरिक्त कैसे लिखे, इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ। दरोगा जी ने विवेचना के समय मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाये नहीं थे।

प्रश्न– आपको घटना की सूचना किसने दिया था?

उत्तर– मैं अपने बेटी सुधा व बेटा दिनेश को खाना लेकर पहुँचा था तो घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। घटना के समय चार–छः–दस लोग थे, फिर हल्ला–गोहार पर पचीस–तीस लोग पहुँच गये थे। घटना की तारीख याद नहीं है। घटना के करीब चार दिन बाद दरोगा जी मेरा बयान लिये थे। मेरी लड़की अस्पताल में पाँच दिन भर्ती थी। छठवें दिन अस्पताल से बाहर आयी थी, जिस दिन मेरी लड़की अस्पताल में भर्ती हुई थी, उसी दिन दिनेश ने दरख्वास्त थाने पर दिया था। घटना के दिन FIR दर्ज हुआ था। घटना के दिन FIR की प्रति दरोगा जी मुझे या मेरे परिवार में किसी को नहीं दिये थे, जिस समय मेरा बयान दरोगा जी ने लिया था, उस समय बहुत लोग मौजूद थे। वीरेन्द्र मेरा साला लगता है। आज खुद कहा कि वीरेन्द्र डर के मारे न्यायालय में बयान देने नहीं आया, क्योंकि मेरे साले वीरेन्द्र को मुल्जिमान राहुल, पुजारी व अर्जुन ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे। रामसेवक मेरे गांव के रिश्ते में भाई लगते हैं। मुल्जिमानों ने मेरे खिलाफ दो मुकदमा किया है, जो कि लम्बित है।''

26– मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की सारगर्भित बहस को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक अध्ययन एवं परिशीलन कर लिया गया है।

निष्कर्ष

27– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन पर यह आरोप लगाया गया है कि– दिनांक 02.07.2020 को किसी समय, वहद स्थान ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा दिनेश एवं उसकी बहन सुधा को जान से मारने के सामान्य आशय एवं ज्ञान सहित लाठी, डण्डा व लात, मूका आदि से प्रहार करके यह जानते हुए गम्भीर व साधारण उपहतियां कारित करते हुए उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने का प्रयास किया। अगर उनकी या उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।

28– अभियोजन को अपना मामला अपनी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपीगण के विरुद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा तथा मूल्यांकन उपरोक्त आरोप के सन्दर्भ में किया जाएगा।

29– शासनादेश संख्या–1042/W.C./7–न्याय–5–2021–494 W.C./2021 में वैश्विक महामारी कोविड 19 प्रोटोकाल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से सम्बन्धित पूरे प्रदेश में कम गम्भीर

अपराध की धाराओं में जन सामान्य (वर्तमान अथवा भूतपूर्व मा० सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य को छोड़कर) के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों को वापस लिये जाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि०मि० रिट पिटीशन संख्या-7787/2021 विनय कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनाँक-08.10.2021 को भी आदेश पारित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में इस सत्र परीक्षण अन्तर्गत धारा-188, 269, 270 भा०द०सं० व महामारी अधिनियम की धारा-3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 (b) में अभियुक्त का विचारण नहीं किया जा रहा है। केवल धारा-308/34, 323/34, 504 भा०द०सं० का विचारण किया जा रहा है।

भा०दं०सं० की धारा-308 में प्रावधानित है कि "जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों, दण्डित किया जाएगा।"

भा०दं०सं० की धारा-323 में प्रावधानित है कि "उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसको अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

धारा 504 भा०दं०सं० में प्रावधानित है कि "जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

30- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन द्वारा वादी मुकदमा एवं उसकी बहन को मार पीट कर गम्भीर प्राणघातक चोटें नहीं पहुँचायी गयी हैं। वादी मुकदमा द्वारा फर्जी चोटों को दिखाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मामले के अन्वेषण अधिकारी द्वारा लाठी, डण्डा एवं ईंट की बरामदगी भी अभियुक्तगण के कब्जे से नहीं की गयी है। वादी मुकदमा दिनेश एवं उसकी बहन सुधा को मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण चोटें आयीं हैं। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर किस्म की तात्विक विसंगतियाँ हैं। अभियोजन साक्ष्य से मामला साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

31- इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि-वादी मुकदमा मजदूर आदमी है। वह पुजारी पुत्र तुलसी के कहने पर मजदूरी करने गया, मजदूरी का पैसा मांगने पर अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन

उग्र होकर गाली गुप्ता देने लगे और वादी मुकदमा को लाठी, डण्डा व लात, मूकों से मारने लगे, जब उसकी बहन सुधा शोर सुनकर आयी और बीच बचाव करने लगी तो उसे भी वे लोग मारे पीटे, जिससे उसके सिर पर गम्भीर चोटें आयी हैं। अभियोजन साक्ष्य से मामला साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

32— अभियोजन की ओर से तथ्य के तीन साक्षीगण **पी०डब्लू०—1** दिनेश (वादी मुकदमा/मजरूब), **पी०डब्लू०—2** मजरूबा सुधा (वादी मुकदमा की बहन) एवं **पी०डब्लू०—7** सुमेर (वादी मुकदमा के पिता) को परीक्षित कराया गया है।

33— किसी भी निष्कर्ष पर पहुॅचने से पूर्व न्यायालय साक्ष्य के मूल्यांकन सम्बन्धी विधि के उन दो सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन पाता है, जिनके आधार पर इस प्रकारण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

प्रथम— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नन्हू एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2012 (77) ACC 125 प्रस्तर—64, राजेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य 2009 (65) ACC 590 तथा रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 (71) ACC 947 सुप्रीमकोर्ट,** दाण्डिक मामलों में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि भारत में साक्ष्य का मूल्यांकन सम्बन्धी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ''एक स्थान पर सत्य, सर्वथा असत्य'' (Falsus in uno, Falsus in omnibus) का सिद्धान्त लागू नहीं होता है, अर्थात साक्षियों के साक्ष्य का कुछ अंश अविश्वसनीय होने के बावजूद भी न्यायालय इस आधार पर साक्षी के समस्त साक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर तिरस्कृत नहीं कर सकता है।

द्वितीय— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जर्नैल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2009) 9 SCC 719 एवं अब्दुल सईद बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2010) 10 SCC 259,** दाण्डिक मामलों में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि घटना के चोटहिल चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य को सदैव ही विश्वसनीय प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है ऐसा साक्षी वास्तविक हमलावर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्तियों को प्रकरण में झूंठा संलिप्त किये जाने का कथन नहीं करेगा, जब तक कि इस तथ्य के विरूद्ध अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए।

34— बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई हेतुक स्पष्ट नहीं कर सका है। इस कारण अभियोजन कथानक सन्देह की परिधि में है, यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं पाता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक अभियोजन साक्षी संख्या—1 व 2 के मौखिक साक्ष्य से समर्थित है। अभियोजन साक्षी संख्या—1 व 2 घटना के चोटहिल चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं। उक्त साक्षियों के साक्ष्य की सम्पुष्टि हेतु पत्रावली पर चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मार्गदर्शक विधि व्यवस्था **लोकेश शिवकुमार बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 3 SCC 196** में यह अवधारित किया गया है कि जहां अभियोजन कथानक घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य से समर्थित हैं और उसकी पुष्टि हेतु पत्रावली पर चिकित्सक

साक्ष्य भी उपलब्ध है, वहां हेतुक का प्रश्न अमहत्वपूर्ण व अप्रासंगिक हो जाता है। अतः इस प्रकरण में भी हेतुक का प्रश्न अप्रासंगिक व अमहत्वपूर्ण हो जाता है।

35– बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2 व 7 आपस में सगे सम्बन्धी, पिता–पुत्र व पुत्री हैं। अतः हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–1 द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि मौके पर सेवक और वीरेन्द्र ने घटना देखी थी, किन्तु अभियोजन द्वारा इन महत्वपूर्ण स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिस कारण अभियोजन कथानक सन्देह की परिधि में आ गया है। यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क से सहमत नहीं है। मात्र इस आधार पर कि मामले का वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 चोटहिल साक्षी, पी०डब्लू०–2 चोटहिल साक्षी सुधा तथा चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–7 आपस में सगे सम्बन्धी हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य को मात्र इसी आधार पर सन्देहास्पद माना जाना न्यायोचित नहीं है।

36– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मार्गदर्शक विधि व्यवस्थाओं में साक्ष्य के मूल्यांकन सम्बन्धी विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मात्र हितबद्ध साक्षीगण के आधार पर या साक्षीगण के आपस में निकट सम्बन्धी होने के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्वसनीयता नकार दिया जाना न्यायोचित नहीं होता है। घटना स्थल व अभियुक्तगण की सम्बन्धित अपराध में भूमिका, घटना के दिनांक व समय के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2 व 7 द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई विरोधाभाष इस न्यायालय द्वारा नहीं पाया गया है। इस परिस्थिति में इन साक्षीगण के साक्ष्य को मात्र इस कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वे आपस में निकट सम्बन्धी हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 जो मामले का वादी मुकदमा है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के सुसंगत अंशों में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि अभियुक्तगण द्वारा मजदूरी का पैसा मांगने के कारण उसके साथ मारपीट की गयी, जब उसको बचाने उसकी बहन पी०डब्लू०–2 सुधा आयी तो उसको भी मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचाई गयी। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–7 द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना होते हुए उसने स्वयं देखा है।

37– अभियोजन साक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो बयान दिया गया है, उसमें घटना के दिनांक, समय व स्थान साथ ही अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार लाठी, डण्डा के सम्बन्ध में जो कथन किये गये हैं, उनमें कोई भी भिन्नता घटना के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से नहीं है। यह स्पष्ट है कि घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले ही दिन सम्बन्धित थाने में लिखवायी गई। घटना दिन की बतायी गयी है और चोटहिल अभियोजन साक्षी संख्या–1 व 2 का चिकित्सीय परीक्षण भी सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र में उसी दिन होना बताया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 व 2 के साक्ष्य की सम्पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से भलीभांति हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि चोटहिल सुधा के शरीर पर दो चोटें पायी गयी हैं। वह घटना वाले दिन कठोर कुन्दालय से आना सम्भव था। यद्यपि दौरान विवेचना अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद होना नहीं बताया गया है, किन्तु विवेचना के दौरान की गयी लापरवाही अथवा विसंगतियों से अभियोजन साक्षी

संख्या–2 के साक्ष्य की विश्वसनीयता खण्डित नहीं हो सकी है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आ सका है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुधा द्वारा अभियुक्तगण को कथित घटना में झूंठा संलिप्त दिखाया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा सम्बन्धित समय, दिनांक व स्थान पर अभियोजन साक्षी संख्या–2 के साथ मारपीट की गयी और उसके सिर पर गम्भीर चोटें पहुॅचाई गयी।

38– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 सुधा के सिर की चोट को अभियोजन साक्षी संख्या–3 द्वारा पुष्ट किया गया है। सी०टी० स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर मजरूबा के सिर की हड्डी टूटी पायी गयी तथा उसके **Temporal bone** में **Communited fracture** पाया गया तथा उसकी खोपड़ी पर **Hematoma** पाया गया। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन द्वारा सम्बन्धित दिनांक, समय व स्थान पर मजरूबा अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुधा को लाठी, डण्डा, ईंट से ऐसे ज्ञान व जानकारी में तथा ऐसी परिस्थिति में गम्भीर उपहति कारित की गयी कि मजरूबा की मृत्यु सम्भावित थी। अतः अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण राहुल, पुजारी एवं अर्जुन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–308/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को सिद्ध करने में सफल रहा है।

39– अभियुक्तगण राहुल, पुजारी व अर्जुन पर यह भी आरोप है कि उसने मामले के वादी मुकदमा दिनेश के साथ मारपीट की, लात–घूसों से उसे सामान्य चोटें पहुॅचाई तथा साक्षी पी०डब्लू०–2 सुधा को भी सामान्य चोटें पहुॅचाई। मजरूबा सुधा के सिर पर चोट पायी गयी जो गम्भीर प्रकृति की है, अन्य कोई सामान्य उपहति नहीं पायी गयी। अभियोजन साक्षी संख्या–7 सुमेर द्वारा अपने साक्ष्य में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि मुल्जिमान उसको मारे पीटे नहीं थे। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 दिनेश ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा दाहिने पैर, व जांघ तथा कमर में दर्द की शिकायत बतायी गयी थी, उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं पायी गयी। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323/34 के आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं कर सका है।

40– अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 का आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा द्वारा यद्यपि अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने मौके पर गाली–गलौज किया था, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया गया है कि अभियुक्तगण ने किन विशिष्ट अपमानजनक शब्दों या अपशब्दों का प्रयोग किया था। फलस्वरूप उक्त आरोप में भी अभियुक्तगण सन्देह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और उक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

41– अतः अभियुक्तगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी,जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत धारा–308/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषसिद्ध** होने योग्य हैं। अभियुक्तगणराहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र

तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी,जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत धारा–323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषमुक्त** होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

सत्र वाद संख्या–22/2022, मुकदमा अपराध संख्या–204/2020, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के मामले में अभियुक्तगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी,जनपद सिद्धार्थनगर को अन्तर्गत धारा–308/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्तगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी,जनपद सिद्धार्थनगर को अन्तर्गत धारा–323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उनके जमानतनामे एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पुनः पेश हो।

दिनांक 10.06.2026

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बांसी, सिद्धार्थनगर।
JO Code UP 1537

दण्डादेश

दिनांक 10.06.2026

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुई।

दोषसिद्धगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

दोषसिद्धगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के बिन्दु पर कथन किया गया कि दोषसिद्धगण का यह प्रथम अपराध है, दोषसिद्धगण द्वारा मारपीट की घटना कारित नहीं की गयी है। अतः दोषसिद्धगण को कम से कम सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दण्ड के बिन्दु पर यह तर्क दिया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा अपने आशय के सामान्य अग्रसरण में एकजुट होकर चोटहिल दिनेश एवं सुधा को चोटें कारित की गयी हैं। उक्त मारपीट में चोटहिल सुधा के सिर में गम्भीर चोटें आयी हैं। दोषसिद्धगण द्वारा अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः दोषसिद्धगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त तर्कों के आलोक में इस न्यायालय के अभिमत में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्धगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा वादी मुकदमा दिनेश की बहन सुधा को मजदूरी का पैसा मांगने पर मारपीट कर गम्भीर एवं प्राणघातक चोटें पहुॅचाई गयी हैं। अतः दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धगण की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धगण राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर को अन्तर्गत धारा–308/34 भारतीय दण्ड संहिता में निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

आदेश

सत्र वाद संख्या–22/2022, मुकदमा अपराध संख्या–204/2020, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में दोषसिद्धगण **राहुल पुत्र पुजारी, पुजारी पुत्र तुलसी एवं अर्जुन पुत्र तुलसी**, निवासीगण ग्राम बन्धवाताल, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर प्रत्येक को अन्तर्गत धारा–308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत **3 (तीन)** वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को **10,000/– (दस हजार रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर प्रत्येक दोषसिद्धगण को **3 (तीन) माह** का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सभी मौलिक सजाएं साथ–साथ चलेंगी। दोषसिद्धगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

दोषसिद्धगण प्रत्येक का दोषसिद्ध वारण्ट बनाकर उनको सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जाय।

अर्थदण्ड की कुल धनराशि मु०–30,000/– (तीस हजार रूपये) में से धारा–357(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पचास प्रतिशत धनराशि मु०–15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) पीड़ित को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाय। शेष धनराशि मु०–15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) राज्य सरकार के कोष में जमा की जायेगी।

इस निर्णय/आदेश की प्रति प्रत्येक दोषसिद्धगण को नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–365 के अन्तर्गत प्रतिपादित प्रावधान के अनुक्रम में इस निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांक–10.06.2026

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बांसी, सिद्धार्थनगर।
JO Code UP 1537

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 10.06.2026

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बांसी, सिद्धार्थनगर।
JO Code UP 1537